न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

गुरदेव कौर बनाम गमदूर सिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 6/2007 (2007/00024)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
07.06.2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 व 4 सीपीसी दिनांक 15.03.2022 पर उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन कियाकि अपीलाण्ट संख्या 1 गुरदेव कौर का स्वर्गवास का हो चुका है जिसके वारिसान पहले से ही रिकार्ड पर है इसलिए गुरदेव कौर के नाम के आगे मृतक दर्ज किया जावे। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 9/1 जगजीत सिंह का दिनांक 31.01.2022 को स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायज वारिसान प्रार्थना–पत्र में अंकित किये किये गयें हैं। प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद है, लिहाजा रेस्पोडेण्ट संख्या 20/1 जगजीत सिंह के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति पेश की और प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपीलाण्ट संख्या 1 गुरदेव कौर के नाम के साथ मृतक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 9/1 जगजीत सिह के वारिसान को बतौर रेस्पोडेण्ट पक्षकार बनाने के आदेश दिये जाते हैं। संशाधित शीर्षक पेश हो। इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख राजस्व मण्डल अजमेर में गया हुआ होना बताया गया। ऐसी स्थिति में इस अपील की कार्यवाही राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील के निर्णय तक स्थगित की [illegible] पत्रावली नंबर से कम होकर दा[illegible] मण्डल के निर्णय होने के बाद इस पत्रा[illegible] में मुताबिक कानून आईन्दा कार्यवाही की जा सकेगी। 7/6/22 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:52:00 IST
Reason: SelfAttested